

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक 3 जुलाई, 2014

आदेश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दाखिल अपील ।

-----

जबकि श्री एलम चन्द ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत भेजे गये आवेदन पत्र दिनांक 28.01.2014 में पांच बिन्दुओं में जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों से संबंधित सूचना मांगी थी ।

2. जबकि आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र के विभिन्न बिन्दुओं में मांगी गई सूचना इस मंत्रालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 10.03.2014 के द्वारा प्रदान कर दी गई थी।

3. जबकि श्री एलम चन्द ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनांक 31.03.2014 को अपील दाखिल की है, जो कि इस मंत्रालय के पब्लिक अनुभाग में दिनांक 24.06.2014 को प्राप्त हुई है। अपीलकर्ता ने अपने अपील में उल्लेख किया है कि केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना से वह सहमत नहीं है। अपीलकर्ता ने जीवन रक्षा पदक प्राप्तकर्ता का पहचान पत्र जारी करने की मांग की है तथा साथ ही साथ जीवन रक्षा पदक पुरस्कार के लोगो (Logo) का स्टीकर उपयोग करने की भी अनुमति मांगी है।

4. उक्त अपील का परीक्षण किया गया है। जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों को विनियमित करने वाले दिशा निर्देशों में जीवन रक्षा पदक प्राप्तकर्ता को पहचान पत्र जारी करने तथा जीवन रक्षा पदक पुरस्कार का स्टीकर प्रयोग करने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। जबकि जीवन रक्षा पदक के एक तरफ भारत का राज्य संप्रतीक अंकित है जो भारत के राज्य संप्रतीक का प्रयोग भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम 2005 तथा भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) नियम 2007 [भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) संशोधन नियम 2010 के साथ पठनीय] द्वारा विनियमित होता है। भारत के राज्य संप्रतीक का वाहनों पर प्रयोग उक्त नियम के अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों तक निर्बंधित है। जीवन रक्षा पदक प्राप्तकर्ता को पहचान पत्र जारी करने तथा जीवन रक्षा पदक पुरस्कार का स्टीकर प्रयोग करने संबंधी अनुरोध सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत परिभाषित " सूचना " के अन्तर्गत नहीं आता।

5. आपने जो प्रश्न पूछे हैं वो सूचना के अधिकार अधिनियम में नहीं आते, फिर भी प्रश्नवार उत्तर निम्नलिखित हैं -

प्रश्न 1 : जी नहीं।

प्रश्न 2 : जी नहीं।

प्रश्न 3 : जी नहीं।

प्रश्न 4 : जी नहीं।

प्रश्न 5 : जी नहीं।

6. इस अपील का तदनुसार निस्तारण किया जाता है !

*31/3/14*  
31/3/14  
(सिंहपाल चौहान)

संयुक्त राधिव, भारत सरकार  
एवं अपीलीय प्राधिकारी  
दूरभाष: 2309 3178

श्री एलम चन्द,  
सुपुत्र श्री घासी राम,  
वी. पी. ओ. बामनी खेडा,  
जिला - पलवल  
हरियाणा - 121105

प्रति, उपरोक्त वर्णित अपील दिनांक 31.03.2014 की एक प्रति के साथ: अनुभाग अधिकारी (आई.टी. सेल), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को इस मंत्रालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

श्रीमाने संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
 कमरा नं- 194 नया ब्लॉक  
 गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

विषय :- सूचना अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत  
 अपील प्रपत्र

श्रीमाने जी,

(28/02/2014) को मेने पत्र सारा सूचना को अधिनियम अधिनियम के तहत  
 सूचना मांगी कि क्या मुझे मुख्य सचिव भारत सरकार की अनुमति लेकर  
 जीवन रक्षा पदक को पहचान पत्र (पदक कार्ड) मिल सकता है या नहीं  
 अथवा जवाब मिला :- जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों को विविध मित करने वाले  
 विदेश विदेशों में जीवन रक्षा पदक पुरस्कार प्राप्त करने को पहचान पत्र जारी  
 करने का कोई प्रावधान नहीं है।

मेने पल्लव चक्र 310 श्री धात्री राठ अपरोक्त उत्तर से सहमत नहीं हूँ,  
 जबकि मैं राजकीय वरिष्ठ मॉडर्न विद्यालय नं-3 बरपुर, नई दिल्ली  
 अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, मेरा विद्यालय का 7 वर्ष  
 आचार्य कार्ड, शौट नौट कार्ड की प्रति है और भारत सरकार  
 पांच करोड़ के अपरोक्त ही पदक जारी करती है यह मानला भ्रम  
 लिए ही नहीं अपितु अन्धों के लिए भी होता चाहिए

Q. No. 2 - क्या मैं "जीवन रक्षा पदक" का लोगो (Logo) जो MHA की  
 साइट पर कम्यूट कर जनरेट होता है उसका उपयोग कर  
 सकता हूँ या नहीं।

Ans: अपरोक्त प्रश्न का जवाब भी कोई प्रावधान नहीं है।  
 मैं अपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ जबकि MHA की साइट पर  
 जीवन रक्षा पदक का Logo निकल रहा है तो उसका तो पदक चारक  
 का एक बन जाता है व शर्तों की उसको बदलें नहीं Black & white  
 जैसा है वैसा ही उपयोग में लाया जा सकता है। अथवा साइट  
 से इतर लेना चाहिए।

मैं यह प्रश्नो चाहता हूँ कि क्या पदक चारक अपना  
 सही मिनेट शौट मैडलों के लोगो साथ रखेगा।  
 जो भी पदक चारक है वह देश, समाज शौट मानवता के लिए  
 काम कर रहा है और राष्ट्र का सर्वोच्च सेनापति, जननायक  
 महामहिम राष्ट्रपति पदक सारा सम्मानित व्यक्ति अपनी पहचान नहीं  
 रख सकता।

मेरा निवेदन यह है कि भारत के सभी राष्ट्रपति पदक विजेताओं  
 को अविकल लाभ मिले या न मिले लेकिन उनके सम्मान हेतु  
 पदक को पहचान पत्र आवश्यक दिलाया जाए।

जय हिन्द, जय भारत  
 190 MO - 21 F - 986007  
 Date 31-3-2014.  
 श्रीमाने डी०. श्रीमती खेडा, जि०- पलवल  
 हरियाणा Pin. 121105  
 मो० 990674779 = 8826084153.